अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.01.2026 को अपराह्न 04:00 बजे निजी विद्यालयों के संघ/संगठन के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति –

1. सचिव, शिक्षा विभाग।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
3. उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
4. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के संघ/संगठन के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी।
5. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के प्रतिनिधि।

1. निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति–

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ई–संबंधन पोर्टल पर कुल 217 प्राप्त आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जाँच हेतु अग्रसारण के लिए एवं कुल 942 प्राप्त आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर प्रस्वीकृति हेतु लंबित है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर कुल 1811 आवेदन जाँच हेतु लंबित है।

उक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि RTE Act 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति के मानकों का अनुपालन कराते हुए अपने जिले से संबंधित सभी लंबित मामले को दिनांक 14.02.2026 तक निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे एवं जो विद्यालय प्रस्वीकृति के मानकों, मानदंडों एवं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उक्त विद्यालयों के आवेदन को स्पष्ट कारण उल्लेखित करते हुए अस्वीकृत किया जाय।

(अनुपालनार्थ :–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार)

(ii) नवादा जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्वीकृति के नवीनीकरण के संदर्भ में ई–संबंधन पोर्टल पर लॉगिन करते समय पासवर्ड भूल जाने के कारण लॉगिन की समस्या आती है।

उक्त के आलोक में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी अपने–अपने जिला में इस संदर्भ में प्राप्त शिकायत आवेदन पोर्टल के तकनीकी विशेषज्ञ श्री संजीव कुमार के Whatsapp Number (7004070043) पर भेजकर Ticket raise करेंगे। e-Sambandhan Portal पर ई–मेल एवं Chatbot के माध्यम से तकनीकी सपोर्ट संबंधित Agency प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि निदेशालय के ज्ञापांक 29 दिनांक 07.01.2026 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

(अनुपालनार्थ :– Agency- e-Sambandhan Portal)

Scanned with OKEN Scanner

(iii) नवादा जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर तकनीकी समस्या की ओर इंगित किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि ज्ञानदीप पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2024–25 एवं 2025–26 में इन्ट्री किए गए बच्चों का Data Show नहीं कर रहा है। इस संबंध में ज्ञानदीप पोर्टल के संचालक Agency Code Bucket के तकनीकी विशेषज्ञ को शीघ्र सभी तकनीकी समस्या के निराकरण का आदेश दिया गया। साथ ही ज्ञानदीप पोर्टल पर ई–मेल एवं Chatbot के माध्यम से तकनीकी सपोर्ट संबंधित Agency प्रदान करेगी।

(अनुपालनार्थ :–Agency- Code Bucket)

(iv) पटना जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति के नवीनीकरण हेतु समयावधि 03 साल के बदले 05 साल किया जाय। इस संबंध में RTE Act 2009 के प्रावधानों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है।

(अनुपालनार्थ :–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा)

2. (i) शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों का प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा दिनांक 31.12.2026 तक Intake Capacity भरा जाना था। अभी तक कुल 15919 विद्यालयों के विरूद्ध मात्र 7702 विद्यालयों द्वारा ही Intake Capacity भरा गया है। निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि शेष 8217 निजी विद्यालयों के लिए दिनांक 25.01.2026 तक Intake Capacity को अचूक रूप से भराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उक्त नामांकन संबंधी कार्य को ससमय पूर्ण कराया जा सके।

(ii) जहानाबाद जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि अंचलाधिकारी के स्तर से 01 लाख तक का आय प्रमाण–पत्र निर्गत करने में दिक्कत आती है। समीक्षोपरांत उक्त बिन्दु पर आदेश निर्गत किया जाएगा।

3. (i) RTE 12(1)(c) के तहत नामांकित बच्चों के एवज में संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। अभी तक जिला स्तर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 2023–24 तक के लिए संबंधित निजी विद्यालयों के खाते में DBT के माध्यम से कुल 134 करोड़ की राशि का अंतरण किया जा चुका है। शेष विद्यालयों की जाँच प्रक्रिया को पूर्ण कराते हुए भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

(ii) जहानाबाद जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया है कि विद्यालय जाँच हेतु निर्गत निदेशालीय पत्र पत्रांक 40 दिनांक 09.01.2026 से जाँच प्रक्रिया पूर्ण करने में दिक्कत आ रही है। अतएव पूर्व निर्गत पत्रांक 1117 दिनांक 18.12.2024 के आलोक में ही जाँच प्रक्रिया पूर्ण कराई जाय। इस संबंध में मानक

Scanned with OKEN Scanner

संचालन प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक 28 दिनांक 07.01.2026 निर्गत है। इसपर उपस्थित निजी विद्यालयों के सभी प्रतिनिधि की सहमति थी। उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्गत पत्रांक 40 दिनांक 09.01.2026 को निरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

(अनुपालनार्थ :—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा)

(iii) सुपौल जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से कुछ विद्यालयों को वर्ग 01 से वर्ग 08 तक के नामांकित बच्चों के एवज में प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया गया है। जबकि कुछ को सिर्फ वर्ग 01 के बच्चों के नामांकन के एवज में। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि सभी विद्यालय को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ग 01 से लेकर वर्ग 08 तक के लिए उक्त बच्चों के नामांकन के एवज में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाय।

(अनुपालनार्थ :—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा)

4. (i) पटना जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि ज्ञानदीप पोर्टल को पुनः ओपेन किया जाय ताकि शैक्षणिक सत्र 2019—20 से 2023—24 तक शेष बच्चों से संबंधित अभिलेख/Data को अपलोड किया जा सके। इस संबंध में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा।

(अनुपालनार्थ :—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा)

(ii) सिवान जिला के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रतिपूर्ति हेतु प्रति बच्चा निर्धारित राशि में से पोशाक एवं पुस्तक की राशि का अंकन किया जाय, ताकि इस संदर्भ में जाँचोंपरांत भुगतान की अनुशंसा करने में स्पष्टता रहे। इस संबंध में पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।

(अनुपालनार्थ :—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा)

Rajinder 20.1.2026

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :— 08/RTE 15—02/2021—126/ पटना, दिनांक 21.01.2026

प्रतिलिपि :— माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/आप्त सचिव, सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान आप्त सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारम्भिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)/निजी विद्यालय के संघों के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी/श्री सद्दाम, Code Bucket, शिक्षा विभाग/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajinder 20.1.2026

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

Scanned with OKEN Scanner